निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 150/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामकृष्ण पुत्र भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी गुढा बैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर। हाल निवासी प्लाट नं॰ 35, सुभाष कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर दूदू जिला जयपुर ।
2. कमलकान्त पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति ब्राह्मण निवासी गुढा बैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर। हाल निवासी प्लाट नं॰ 36, सुभाष कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर ।
3. कविता पुत्री हनुमान सहाय जाति ब्राह्मण निवासी गुढा बैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर। हाल निवासी हरसोली, तहसील रेनवाल, जिला जयपुर ।

वादीगण/ अप्रार्थीगण

4. गोपाल कृष्ण पुत्र श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण, निवासी गुढा बैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
5. बालकृष्ण पुत्र श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण, निवासी गुढा बैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
6. मुन्नी देवी पत्नी बजरंग लाल जाति ब्राह्मण, निवासी धानास, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर
7. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश जाति ब्राह्मण, निवासी पचार, तहसील व जिला जयपुर ।
8. श्रीमती रतन देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द जाति ब्राह्मण, निवासी निकट रेल्वे स्टेशन, सांभर लेक, तहसील सांभर लेक, जिला जयपुर ।
9. धीरज कुमार पुत्र हनुमान सहाय जाति ब्राह्मण, निवासी गुढा बैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

तरतीबी अप्रार्थीगण

10. तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर ।
11. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर (फॉस्ट ट्रैक) दूदू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 140/2021 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा॰ पत्र संख्या 97/2021 ब उनवानी कमलकान्त व अन्य बनाम रामकृष्ण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने।

उपस्थितः—

जिला कलक्टर
जयपुर

1. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।
3. श्री विवेक चौटिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 से 8 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 20.09.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू के समक्ष प्रकरण संख्या 140/2021 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा॰ पत्र संख्या 97/2021 ब उनवानी कमलकान्त व अन्य बनाम रामकृष्ण व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नेमीचन्द जलवालिया एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक चौटिया ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू के पीठासीन अधिकारी का पद काफी समय से रिक्त चला आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप उपर वर्णित वाद की विधिक कार्यवाही लिक पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष चल रही है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 उच्च राजनैतिक पहुंच रखने वाले व्यक्ति प्रतीत होते है एवं प्रार्थी को विश्वसनीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 व 9 के स्थानीय विधायक से व्यक्तिगत सम्बन्ध है, जिसके परिणामस्वरूप वाद व संलग्न प्रार्थना पत्र की विधिक कार्यवाहियां प्रभावित हो सकती है। गत कई पेशियों पर मौखिक रूप से स्वयं पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रार्थी को यह इंगित किया गया है कि वाद पत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के तहत चल रही विधिक कार्यवाहियों के कारण से स्वयं पीठासीन अधिकारी के ऊपर, ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर दबाव रहता है। वादी के सम्बन्ध गैर सामाजिक तत्वों से है, जो कि दूदू कस्बे मे काफी सकिय है जिसके परिणाम स्वरूप प्रार्थी को स्वयं के स्तर पर न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाहियों के सन्दर्भ में अपनी उपस्थिति देने पर पूर्णतय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है। सुलभ, तीव्र एवं पक्षपात रहित न्याय देना व प्राप्त करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है । हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थी को न्याय की उम्मीद शून्य प्रतीत होती है। वादीगण के द्वारा कई बार प्रार्थी को एलानिया रूप से यह प्रतीत कराया गया है कि वाद व संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के तहत विधिक कार्यवाही वादीगण के हक में ही रहेगी जो कि आदेश दिनांक 23.05.2022 से स्पष्ट होता है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रार्थी के द्वारा प्रेषित जबाब व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को नजर अदाज किया गया एवं पीठासीन

जिला कलक्टर
जयपुर

अधिकारी के द्वारा प्रश्नागत सम्पत्ति के सन्दर्भ में वाद कारण रेसज्यूडीकेटा एवं वाद दायर करने की अधिकारित जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भी नजर अन्दाज किया गया है जो कि पीठासीन अधिकारी के ऊपर वादीगण के द्वारा डाले गए अनावश्यक दबाव वादीगण की प्रभावशीलता को स्पष्ट करता है। प्रश्नागत सम्पत्तियों के सन्दर्भ में वादीगण के परिवाजन के द्वारा पूर्व में भी एक दावा प्रेषित किया गया था जो कि सक्षम अधिकारी के द्वारा खारिज फरमा दिया गया । जिससे ऐसा प्रतीत होता हे कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उसका मुकदमा अन्यत्र न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी रामकृष्ण ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है और प्रार्थी के छोटे भाई जो मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 5 है, ने एक नया वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसके साथ ही प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 16.06.2022 को मुगालते में रखते हुये एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर लिया जिसकी जानकारी दिनांक 18.07.2022 को प्रार्थी को हुई जिसका मुकदमा नम्बर 63/2022 उनवानी बालकृष्ण बनाम लोकेश है। प्रार्थीगण ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया अब उक्त दोनों प्रकरणों में किसी भी प्रकार से सुनवाई नही हो सके, इसके लिए यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने गलत मनघढन्त तथ्यों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और केवल न्याय में देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की जाने वाली कार्यवाही रूक जावे और वादीगण को न्याय प्राप्त नहीं हो सके। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में केवल यह लिख देना कि राजनैतिक सम्बन्धं अच्छे है ऐसा पूर्णतया गलत है व प्रार्थीगण को अपमानित करने जैसे शब्द है । क्योंकि प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के साधारण व्यक्ति है जिनको इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं आती है । इसिलए निराधार व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट के साथ खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में दावे ओर जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम होनी है और उसके बाद भी प्रकरण में लम्बी प्रकिया शेष है। केवल मात्र वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है और सूट लैण्ड को रिजर्व रखने बाबत स्थगन आदेश जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है । जिससें किसी प्रकार से स्थानान्तरण का अधार नही बनता है। इसलिए प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को भारी कोस्ट पर खारिज किया जाना उचित एवं आवश्यक है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61, जमना शंकर बनाम कालूराम 1982 III, में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने पर यह पाया गया है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू के लिंक पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर